फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 02/2013

जगदीश बनाम रामचन्द्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.05.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की आपत्ति को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। डिक्रि पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (R.A.S)

वाद संख्या :– 2/2013 निर्णय दिनांक :– 23.05.2024

उनवान

1. जगदीश पुत्र महादेव जाति जाट निवासी ग्राम सूरजपुरा उर्फ टूटोली, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

––वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व. रामनाथ
2. रामलाल पुत्र स्व. रामनाथ
3. महेन्द्र पुत्र स्व. रामनाथ एट
4. म्होरी देवी बेवा रामेश्वर
5. धनपाल पुत्र स्व. रामेश्वर नाबालिग संरक्षक माता स्वंय म्होरी देवी बेवा रामेश्वर
6. गंगाराम पुत्र काना
7. बाबूलाल पुत्र हनुमान
8. लाला पुत्र हनुमान
9. शंकर पुत्र गोपी
10. लक्ष्मण पुत्र गोपी
11. मोहरी बेवा गोपी
12. प्रहलाद पुत्र रामसहाय
13. नारायण पुत्र रामसहाय
14. सूजा देवी पुत्री रामसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता स्वंय प्रेम देवी पत्नी स्व. रामसहाय
15. गीता देवी पुत्री रामसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता स्वंय प्रेम देवी पत्नी स्व. रामसहाय
16. किशोर पुत्र लच्छा
17. रामधन पुत्र लच्छा
18. मनभर पत्नि श्योजीराम
19. लाला पुत्र श्योजीराम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सूरजपुरा उर्फ दूटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर

---प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा, त/धा 53, 188 राज. टेनेन्सी एक्ट 1955</u>

वादी ने वाद निम्न प्रकार से पेश किया कि वाके ग्राम सूरजपुरा उर्फ दूटोली, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1355 रकबा 0.26 है0, 1356 रकबा 0.12 है0, 1431 रकबा 1.07 है0, 1432 रकबा 0.83 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 228 है0 में वादी 1/2 हिस्से का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। बाकी हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है। पक्षकारों के हिस्से राजस्व रिकोर्ड में सही दर्ज है ! पक्षकार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा सरकार में लगान अदा कराते आ रहे है उक्त भूमि को आगें वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादपत्र के पहरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है और मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज खातेदारी कराकर भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने एंव उसमें सुधार करना चाहता है जिसके लिये प्रतिवादीगण सहमत नहीं है। आपसी सहमति से बंटवारा कराने से इंकार हो रहे है। जबकि वादी अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है! वादी स्वंय ने तथा अपने मिलने वालो के जरिये प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर लो परन्तु ये लोग सहमत नही हो रहे है! दिनाक 28.1. 2013 को तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया और ऐसानिया धमकी दी कि हम भूमि का तकासमा नही करायेंगे। बल्कि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

आराजी में कच्चा पक्का निर्माण करेंगे और दीगर व्यक्तियों को भूमि का बेचान करेंगे। दिंनाक 30.1.2013 को प्रतिवादीगण मय मददगारान हाथों में लाठिया, खरवाडें, फावडिंया लेकर आये और ईंट, बजरी, पत्थर, सीमेन्ट वगैरा डालने लग गयें। निर्माण कार्य करने की दृष्टि से नाप चौक करने लगें, नीवे खोदने लग गये तो वादी ने इन लोगो को मना किया ! लेकिन प्रतिवादीगण नही माने, लडाई–झगडा करने लग गयें, मारपीट पर आमदा हो गये ! तब वादी गांव के मौजीज व्यक्तियों को बुलाकर लाया ! इस पर गांव के मौजीज लोगो ने प्रतिवादीगण को समझाया कि तुम बिना तकासमा कराये भूमि पर निर्माण कार्य मत करों। उस समय तो प्रतिवादीगण मान गयें! पर जाते–जाते ऐलानिंया धमकी दे गये कि हम तो वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य करेंगे अपने अपने पुख्ता मकान बनायेंगे ! खातेदारी भूमि को आबादी में तब्दील कर देंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह दावा मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ ! प्रतिवादीगण वादी को यह भी ऐलानिया धमकी देते है कि अब वे वादी को जमीन पर पैर भी नहीं रखने देंगे। वादी को जमीन पर काश्त नहीं करने देंगे इस पर खड़े पेड़ों को काटकर बेच देंगे जमीन की प्राकृतिक उपज से वादी को लाभ नही उठाने देंगे। ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेद्याज्ञा से पांबद करावे कि वह वादी के कब्जें काश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत व दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न अन्य किसी से करावें । सहखातेदार श्योजीराम पुत्र बीज्या का स्वर्गवास हो गया है । जिसका राजस्व रिकोर्ड में विरासत का नामान्तकरण नहीं भरा गया है। इसलिये उसके वारिसो को प्रतिवादी सं. 18 एंव प्रतिवादी सं. 19 बनाया गया है। प्रतिवादी नं. 20 सरकार भूमिधारी है! दावा तकासमें का है इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। दायरी दावे के लिये वाद हेतु दिंनाक 28.1.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से तकासमा कराने से इंकार होने एव दिंनाक 30.1.2013 को वादग्रस्त आराजी में निर्माण करने का प्रयास करने एंव बेचान की धमकी देने एंव वादी का सहखातेदार होने के कारण पैदा हुआ। आराजी वादग्रस्त भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

नम्बर 1355 रकबा 0.26 है0, 1356 रकबा 0.12 है0, 1431 रकबा 1.07 है0, 1432 रकबा 0.83 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम सुरजपुरा उर्फ टूटोली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर का मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का पृथक से विधिवत् तकासमा किया जाकर वादी को भौतिक कब्जा संभलाया जाकर वादी की भूमि का अलग से पर्चा बनाया जाकर लगान निर्धारित कर दिया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के स्वत्व व अधिकार, कब्जे में किसी भी प्रकार से मजाहमत न तो स्वंय करें न अन्य किसी से करावें !

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गयी वकील वादी ने कथन किया कि जावें, अतः दावा तकासमें का होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 16.11.2015 को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार चाकसू को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निदेर्शित किया गया कि दोनो पक्षो की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर पेश करे, पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.04.2019 के होने पर प्राप्त हुये राजस्व अपील अधिकारी द्वारा न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.11.15 का बहाल रखा जाने पर तहसीलदार का लिखा जिसकी पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को पत्र क्रमांक राजस्व/22/6424 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा लिखा गया, तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में क्रमांक भू.अ/23/2993 दिनांक 10.04.2023 को कुर्रेजात रिपोर्ट मिजवायी गयी जो शामिल पत्रावली किये जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई। आपत्ति पर बहस सुनी गई। आपत्ति को आंशिक स्वीकार किया जाकर रास्ते 30 फीट व रास्ते को छोडते हुये इनको किस्म गै0 मु0 रास्ता अंकित किया जावें। विभाजन प्रस्ताव में कोई संशोधन हो तो न्यायालय को अनुमोदन हेतु मिजवाया जा सकता है। इस प्रकार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

वकील वादी/प्रतिवादीगणों की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश की गई, आपत्ति को सुना जाकर आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार को आदेर्शित किया जाता है कि आपत्ति को मध्य नजर रखते हुये दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात एवं प्रतिवादीगण की आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आपत्ति में दर्ज रास्ते 20–30 फीट व रास्ते को छोडते हुये इनको किस्म गै0 मु0 रास्ता अंकित किया जावें। विभाजन प्रस्ताव में कोई संशोधन हो तो न्यायालय को अनुमोदन हेतु भिजवायें को ध्यान में रखते हुये अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा कुर्रेजात निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, सूवाना (भीलवाड़ा)